कार्यवृत्त

मंगलवार, 25 फाल्गुन, शक संवत्, 1937
(दिनांक : 15 मार्च, 2016)

खण्ड–44
अंक–5

विधान सभा का कार्य सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11:00 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में आरम्भ हुआ।

प्रश्न पूछे गये उत्तर दिए गये।

प्रदेश में बढ़ते भ्रष्टचार के कारण प्रदेश की जनता में आक्रोश व्याप्त होने विषय पर नेता प्रतिपक्ष तथा अन्य सदस्यों द्वारा नियम–310 में दी गई सूचना पर चर्चा कराये जाने की मांग को लेकर नेता प्रतिपक्ष सहित विपक्ष के सभी सदस्य अपने–अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी बात को कहते हुए नारेबाजी करने लगे। जिससे घोर व्यवधान होने लगा। श्री अध्यक्ष के बार–बार अनुरोध किए जाने पर भी सदस्यों ने अपना स्थान ग्रहण नहीं किया।

घोर व्यवधान के मध्य श्री अध्यक्ष ने 12:35 पर सदन की कार्यवाही 01:00 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।

01:00 बजे मार्शल ने सूचित किया कि अध्यक्ष जी ने सदन का समय 03:00 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है।

सदन की कार्यवाही अपराह्न 03:00 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।

दिवंगत पूर्व सदस्य स्व0 काजी मो0 मोहिउद्दीन तथा स्व0 श्री सन्तन बड़थ्वाल के निधन पर नेता सदन ने अपनी शोक संवेदना व्यक्त की तथा श्री मदन कौशिक, श्री प्रीतम सिंह पंवार ने भी अपनी शोक संवेदनाएं प्रकट की।

श्री अध्यक्ष ने अपनी शोक संवेदना प्रकट करते हुए कहा कि मा0 सदस्यों व सदन की भावनाएं उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचा दी जायेगी।

तत्पश्चात् सदन में दो मिनट का मौन रखा गया।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि दिनांक 14 मार्च, 2016 को विधान सभा सत्र 2016 के दौरान भारतीय जनता पार्टी के विधायकों द्वारा विधान सभा देहरादून का घेराव किया गया तथा जुलूस के रूप में रिस्पना पुल पर लगे बैरियर को पार कर विधान सभा सत्र को बाधित करने का प्रयास किया जा रहा था। जिससे शान्ति व्यवस्था भंग होने की पूर्ण आशंका थी। भाजपा विधायकों को अन्तर्गत धारा 151/107/116 द0प्र0स0 में थाना नेहरू कालोनी, देहरादून द्वारा समय 15:00 बजे माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री अजय भट्ट एवं सर्वश्री बंशीधर भगत, दलीप सिंह रावत, सुरेन्द्र सिंह जीना, चन्दन राम दास, विशन सिंह चुफाल, तीरथ सिंह रावत, प्रेम सिंह राणा, पुष्कर सिंह धामी, सहदेव सिंह पुण्डीर, प्रेमचन्द अग्रवाल, दान सिंह भण्डारी, हरभजन सिंह चीमा, यतीश्वरानन्द, संजय गुप्ता, पूरन सिंह फर्त्याल एवं राजकुमार ठुकराल माननीय सदस्यगणों को गिरफ्तार किया गया तथा उन्हें मूल्य पॉच–पॉच हजार रूपये के व्यक्तिगत मुचकलों पर समय 15:45 बजे रिहा किया जा चुका है।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम–300 के अन्तर्गत प्राप्त 16 सूचनाओं में से निम्नांकित विषयों पर 07 सूचनाएं स्वीकृत हुईं एवं पढ़ी हुई मानी गईंः–

1 श्री सुरेन्द्र सिंह जीना	जनपद अल्मोड़ा के सल्ट पॉलिटैक्निक में स्वीकृत विषयों को प्रारम्भ करने के संबंध में।
2. श्री बंशीधर भगत	विधान सभा क्षेत्र हल्द्वानी के सुशीला तिवारी राजकीय चिकित्सालय में अव्यवस्थाओं के संबंध में।

3. श्री दान सिंह भण्डारी	जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र भीमताल में विगत नौ माह से वर्षा नहीं होने से उद्यान एवं सब्जी आदि अस्सी प्रतिशत सूख जाने से स्थानीय जनता में उत्पन्न आक्रोश के संबंध में।
4. श्री पुष्कर सिंह धामी	खटीमा के विभिन्न क्षेत्रों में नलकूप बन्द हो जाने के संबंध में।
5. श्री राजेश शुक्ला	प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेशभर में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की तरह स्वतंत्रता संग्राम सैनानी एवं उत्तराधिकारियों को भी वर्ग–4 की भूमि के नियमितीकरण हेतु शुल्क जमा करने में छूट दिये जाने के संबंध में।
6. श्री दलीप रावत	विधान सभा क्षेत्र लैंसडोन के अन्तर्गत विकास खण्ड रिखणीखाल, पौड़ी गढ़वाल में राजकीय पॉलीटैक्निक प्रारम्भ किये जाने की मांग के संबंध में।
7. श्री प्रेम सिंह	विधान सभा क्षेत्र नानकमत्ता के अन्तर्गत ग्राम नलई से साधूनगर होते हुए सिसईखेड़ा तक लगभग 18 किमी0 सम्पर्क मार्ग के पुनः निर्माण की मा0 मुख्यमंत्री जी के द्वारा स्वीकृति के पश्चात् भी सड़क का निर्माण न किये जाने के संबंध में।

श्री पुष्कर सिंह धामी, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद ऊधमसिंहनगर के ग्राम सिरपुर विचुवा, खटीमा में मुख्य मार्ग से विरेन्द्र महर के घर तक लगभग 350 मीटर सी0सी0 मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में'' श्री नरेन्द्र भट्ट, निवासी ग्राम सिरपुर विचुवा, खटीमा जनपद ऊधमसिंहनगर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री पुष्कर सिंह धामी, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद ऊधमसिंहनगर के ग्राम सिरपुर विचुवा, हनुमान गढ़ी खटीमा में पूरण सिंह के घर से हयात सिंह के घर तक 500 मीटर सी0सी0 मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में'' श्री नरेन्द्र भट्ट, निवासी ग्राम सिरपुर विचुवा, खटीमा जनपद ऊधमसिंहनगर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री पुष्कर सिंह धामी, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद ऊधमसिंहनगर के ग्राम पचौरिया, खटीमा में सम्पर्क मार्ग से राम सिंह धामी पदमपुर के घर तक 150 मीटर सी0सी0 मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में'' श्री बलवीर सिंह भण्डारी, निवासी ग्राम पचौरिया, खटीमा जनपद ऊधमसिंहनगर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री पुष्कर सिंह धामी, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद ऊधमसिंहनगर के ग्राम पचौरिया, खटीमा में गोपाल राम के घर से कै0 मदन कुमार के घर तक 120 मीटर सी0सी0 मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में'' श्री बलवीर सिंह भण्डारी, निवासी ग्राम पचौरिया, खटीमा जनपद ऊधमसिंहनगर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री पुष्कर सिंह धामी, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद ऊधमसिंहनगर के ग्राम चाँदपुर, खटीमा में मान सिंह के घर से तालाब तक 300 मीटर नाले का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में'' श्री चन्द्र सिंह मुडेला, निवासी ग्राम चाँदपुर, खटीमा जनपद ऊधमसिंहनगर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री पुष्कर सिंह धामी, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद ऊधमसिंहनगर के ग्राम बिल्हैरी, चकरपुर, खटीमा में जीवन सिंह सामन्त के घर से दीवान सिंह कोहली के घर तक 120 मीटर मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में'' श्री विरेन्द्र राणा, निवासी ग्राम बिल्हैरी, चकरपुर, खटीमा जनपद ऊधमसिंहनगर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री पुष्कर सिंह धामी, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद ऊधमसिंहनगर के ग्राम गोसीकुऑ लोहियाहेड खटीमा के 600 मीटर क्षतिग्रस्त नाले की पिचिंग का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में'' श्री शाहउद्दीन अंसारी, निवासी ग्राम गोसीकुऑ लोहियाहेड, खटीमा जनपद ऊधमसिंहनगर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री पुष्कर सिंह धामी, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद ऊधमसिंहनगर के ग्राम गोसीकुऑ लोहियाहेड खटीमा पुलिया से लेकर कालोनी कैम्प तक क्षतिग्रस्त मार्ग का सी0सी0 मार्ग निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में'' श्री अब्दुल राशिद, निवासी ग्राम गोसीकुऑ लोहियाहेड, खटीमा जनपद ऊधमसिंहनगर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री पुष्कर सिंह धामी, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद ऊधमसिंहनगर के ग्राम बिल्हैरी, चकरपुर खटीमा में बिचपुरी मुख्य मार्ग से अटीचन बोर तक 275 मीटर सी0सी0 मार्ग निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में'' श्री बिरेन्द्र राणा, निवासी ग्राम बिल्हैरी, चकरपुर, खटीमा जनपद ऊधमसिंहनगर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री पुष्कर सिंह धामी, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद ऊधमसिंहनगर के ग्राम मझोला, दुगाड़ी गोठ, खटीमा में सौर ऊर्जा प्लेटें लगवाने के सम्बन्ध में'' श्री हरिकेश चन्द, ग्राम मझोला, दुगाड़ी गोठ, खटीमा जनपद ऊधमसिंहनगर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

नियम–65 के अन्तर्गत श्री प्रणव सिंह ''चैम्पियन'', सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 17 अप्रैल, 2015 को प्राप्त विशेषाधिकार की सूचना पर श्री अध्यक्ष द्वारा निम्नवत् निर्णय दिया गयाः–

'' श्री कुंवर प्रणव सिंह ''चैम्पियन'' मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–65 के अन्तर्गत दिनांक 17 अप्रैल, 2015 को सूचना दी है कि उनके विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत 01 मार्ग की स्वीकृति राज्य सेक्टर योजना एवं जिला सेक्टर योजना दोनों में प्राप्त होने के फलस्वरूप जिला सेक्टर की स्वीकृति को निरस्त करते हुए उतनी ही लागत में पूर्ण होने वाले तीन कार्यों को स्वीकृत किए जाने का आग्रह जिलाधिकारी हरिद्वार से किया गया था, तथा जिलाधिकारी द्वारा उक्त 03 कार्यों की स्वीकृति आदेश भी दिनांक 09.01.2015 को प्रदान कर दिये गये थे, परन्तु लोक निर्माण विभाग ने उनके द्वारा निषिद्ध मार्ग का निर्माण तो कर दिया लेकिन उनके स्थान पर स्वीकृत प्रश्नगत 03 कार्यों का निर्माण नहीं किया गया।

म0 सदस्य ने यह भी उल्लेख किया है कि जिलाधिकारी हरिद्वार द्वारा अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग अपने पत्र दिनांक 09 जनवरी, 2015 द्वारा जनपद हरिद्वार में जिला योजना के अन्तर्गत पूर्व स्वीकृत कार्य के परिप्रेक्ष्य में मा0 सदस्य द्वारा प्रस्तावित किये गये कार्य की टी0ए0सी0 के उपरान्त वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति

प्रदान की गई, इसके उपरान्त भी लोक निर्माण विभाग द्वारा उस मार्ग का निर्माण करा दिया, जिसको नहीं किया जाना था। इस संबंध में उन्होंने विशेषाधिकार हनन की सूचना दी है।

प्रश्नगत प्रकरण पर मा0 मुख्यमंत्री जी से वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त की गई, उनके द्वारा अपने पत्र दिनांक 21 अक्टूबर, 2015 द्वारा अवगत कराया गया कि जिलाधिकारी, हरिद्वार द्वारा जारी उक्त स्वीकृति आदेश दिनांक 09 जनवरी, 2015 जो कि अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 हरिद्वार को सम्बोधित था, की प्रति न तो प्रान्तीय खण्ड कार्यालय में प्राप्त हुई न ही विषयगत कार्यों हेतु कार्यदायी खण्ड (निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 रूड़की) में प्राप्त हुई है। इस सन्दर्भ में अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 रूड़की द्वारा अर्थ एवं संख्याधिकारी, हरिद्वार के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क किये जाने पर उपर्युक्त स्वीकृति आदेश की प्रति दिनांक 15 अप्रैल, 2015 को प्राप्त की गई। तद्क्रम में सम्बन्धित खण्ड के द्वारा प्रश्नगत 03 कार्यों के निर्माण हेतु निविदा प्रक्रिया सम्पादित करते हुए कार्य अनुबन्ध में कार्य समाप्ति की तिथि 31 जुलाई, 2015 नियत की गई। प्रश्नगत तीनों कार्य नियत समय पर पूर्ण कर लिये गये हैं, जिसकी सूचना संबंधित खण्ड के द्वारा पत्रांक–3300/1सी0, दिनांक 01.09.2015 के माध्यम से मा0 विधायक, खानपुर को दी जा चुकी है।

उपर्युक्त उल्लिखित तथ्यों के आलोक में उल्लेखनीय है कि मा0 विधायक, खानपुर द्वारा निर्दिष्ट प्रश्नगत 03 मार्गों की स्वीकृति से संबंधित आदेश की प्रति संबंधित खण्डीय कार्यालय में विलम्ब से प्राप्त होने पर स्वीकृति के सापेक्ष निर्माण कार्यों के सम्पादन में परिस्थितिजन्य रूप से विलम्ब हुआ है, जिस हेतु उपर्युक्त खण्डों से संबंधित कोई भी अभियन्ता/कर्मचारी दोषी प्रतीत नहीं होते है।

मा0 सदस्य द्वारा दी गई सूचना एवं मा0 मुख्यमंत्री जी से प्राप्त वस्तुस्थिति की जानकारी से मैं इस निष्कर्ष पर पहुॅचा हूॅ कि प्रश्नगत प्रकरण में विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं है और मैं इसे अस्वीकार करता हूॅ।''

नियम–65 के अन्तर्गत श्रीमती अमृता रावत, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 15 मार्च, 2016 को प्राप्त विशेषाधिकार की सूचना पर श्री अध्यक्ष द्वारा निम्नवत् निर्णय दिया गयाः–

'' विधान सभा क्षेत्र रामनगर के अन्तर्गत स्याल्दे नदी पर स्वीकृत पुल का भूमि पूजन कार्यक्रम दिनांक 16 जून, 2015 को क्षेत्रीय विधायक को आमंत्रित न किये जाने के संबंध में श्रीमती अमृता रावत, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 03 नवम्बर, 2015 को विशेषाधिकार हनन की सूचना दी है। प्रश्नगत प्रकरण के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड से वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त की गयी, उनके द्वारा सूचित किया गया कि सन्दर्भित प्रकरण में विधान सीाा क्षेत्र रामनगर के अन्तर्गत लालढांग मोटर के कि0मी0–6 में स्याल्दे में 270 मी0 स्पान के आर0सी0सी0 सेतु निर्माण की स्वीकृति शासनादेश दिनांक 04 मार्च, 2014 के द्वारा प्रदान की गयी है। उक्त स्वीकृति के सापेक्ष पुल निर्माण कार्य हेतु चयनित फर्म मै0 इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0, गाजियाबाद के द्वारा विषयगत भूमिपूजन कार्यक्रम स्वयं के व्यय पर कराया गया, जिसकी पूर्व सूचना संबंधित फर्म द्वारा विभाग को नहीं दी गयी थी। उक्त सेतु निर्माण कार्य प्रारम्भ किये जाने हेतु विभागीय स्तर से कोई शिलान्यास/भूमिपूजन कार्यक्रम न तो आयोजित किया गया और न ही भूमि पूजन हेतु किसी समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित किया गया है। इस दृष्टिगत विषयगत सेतु के निर्माण हेतु उक्तानुसार संबंधित फर्म द्वारा आयोजित भूमिपूजन कार्यक्रम के लिए विभागीय अभियन्तागण उत्तरदायी नहीं हैं। माननीय सदस्य द्वारा दी गयी सूचना तथा माननीय मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड से प्राप्त जानकारी के विश्लेषण के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुॅचा हूॅ कि प्रश्नगत प्रकरण में विशेषाधिकार अवहेलना का कोई प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं है। उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में, मैं उपरोक्त सूचना को विशेषाधिकार के प्रश्न के रूप में अस्वीकार करता हूॅ।''

नियम–65 के अन्तर्गत श्री प्रणव सिंह ''चैम्पियन'', सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 28 अप्रैल, 2015 को प्राप्त विशेषाधिकार की सूचना पर श्री अध्यक्ष द्वारा निम्नवत् निर्णय दिया गयाः–

''खनन पट्टे की अनुमति की आड़ में किये जा रहे अवैध खनन पर कानूनी कार्यवाही किये जाने हेतु श्री कुंवर प्रणव सिंह ''चैम्पियन'' मा0 सदस्य विधान सभा को ग्राम मण्डावर, तहसील भगवानपुर, जिला हरिद्वार के ग्रामीणों द्वारा लिखित शिकायती पत्र दिया गया था। जिसका संज्ञान लेकर मा0 सदस्य द्वारा निदेशक, भूतत्व एवं खनिज विकास परिषद् को निर्देश दिये गये थे। भूतत्व एवं खनिज विकास परिषद् द्वारा दिये गये उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन समय पर न किये जाने के फलस्वरूप मा0 सदस्य ने निदेशक, भूतत्व एवं खनिज विकास परिषद् के विरूद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना दी है।

प्रश्नगत प्रकरण के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी से वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त की गई, उनके द्वारा यह सूचित किया गया है कि सन्दर्भित प्रकरण में उप जिलाधिकारी, भगवानपुर द्वारा तहसीलदार भगवानपुर से जांच करायी गयी। तहसीलदार भगवानपुर की आख्यानुसार श्री इसमपाल पुत्र श्री धर्मसिंह, निवासी ग्राम– मण्डावर, परगना व तहसील भगवानपुर द्वारा ग्राम काजीबास मुस्तकम के खसरा नम्बर 363 क्षेत्रफल 0.4602 है0 से 1000 घनमीटर तथा खसरा नम्बर 233 क्षेत्रफल 0.3527 से 2000 घनमीटर मिट्टी (कुल 3000 घनमीटर) उठाने हेतु अनुमति उप जिलाधिकारी से प्राप्त की गयी थी, किन्तु इसमपाल द्वारा भूमि खसरा नम्बर 233 क्षेत्रफल 0.3527 है0 से मिट्टी खनन का कार्य नहीं किया गया। अपितु श्री इसमपाल द्वारा भूमि खसरा नम्बर 363 क्षेत्रफल 0.4602 है0 में से कुल 9552 घनमीटर मिट्टी खनन किया गया था। इस प्रकार 1000 घनमीटर मिट्टी खनन की अनुमति के विपरीत 8552 घनमीटर मिट्टी का अवैध रूप से खनन किया गया। श्री इसमपाल द्वारा बिना अनुमति के 8552 घनमीटर मिट्टी का अवैध रूप से खनन किये जाने के कारण उन पर 8.00 रूपये प्रति घनमीटर की दर से रायल्टी रूपये 68,416.00 व जुर्माना रूपये 5,000.00 कुल रूपये 73,416.00 (रू0 तिहत्तर हजार चार सौ सोलह मात्र) उप जिलाधिकारी द्वारा अधिरोपित किया गया, जिसे श्री इसमपाल द्वारा चालान संख्याः 60 दिनांकः 15 मई, 2015 के द्वारा राजकीय कोष में जमा कराया जा चुका है।

मा0 सदस्य द्वारा दी गई सूचना तथा माननीय मुख्यमंत्री एवं निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा प्रस्तुत जानकारी के उपरान्त मैं, इस निष्कर्ष पर पहुॅचा हूॅ कि प्रश्नगत प्रकरण में विशेषाधिकार कि अवहेलना का कोई प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं है। उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में मैं, उपरोक्त सूचना को विशेषाधिकार के प्रश्न के रूप में अस्वीकार करता हूॅ।''

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 15 मार्च, 2016 की बैठक में दिनांक 15 मार्च, 2016 से 18 मार्च , 2016 तक के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की हैः–

मार्च, 2016

15 मंगलवार

1–मा0 राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा एवं पारण
2–आय–व्ययक पर सामान्य चर्चा
3–विधायी कार्य

1. उत्तराखण्ड विद्युत उत्पादन पर जलकर (संशोधन) विधेयक, 2016 पर विचार एवं पारण **(30 मिनट)**
2. उत्तराखण्ड जल प्रबन्धन और नियामक (संशोधन) विधेयक, 2016 पर विचार एवं पारण । **(30 मिनट)**
3. उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद् विधेयक, 2016 पर विचार एवं पारण । **(30 मिनट)**
4. उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (संशोधन) विधेयक 2016 पर विचार एवं पारण। **(30 मिनट)**
5. उत्तराखण्ड जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2016 पर विचार एवं पारण। **(30 मिनट)**

16 बुधवार

1–आय–व्ययक पर सामान्य चर्चा
2–विधायी कार्य

1– उत्तराखण्ड माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2016 पर विचार एवं पारण । **(30 मिनट)**

2– उत्तराखण्ड परिवहन और नागरिक अवस्थापना उपकर (संशोधन) विधेयक, 2016 पर विचार एवं पारण। **(30 मिनट)**

3– उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2016 पर विचार एवं पारण । **(30 मिनट)**

4– उत्तराखण्ड भूगर्भ जल (विकास एवं प्रबंधन का विनियमन एवं नियंत्रण) विधेयक, 2016 पर विचार एवं पारण।**(30 मिनट)**

17 गुरुवार

1–आय–व्ययक पर सामान्य चर्चा।

2– विभागवार अनुदान मॉगों पर चर्चा एवं मतदान

अनुदान सं0–05 निर्वाचन

अनुदान सं0–07 वित्त, कर नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें

अनुदान सं0–06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन

अनुदान सं0–18 सहकारिता

अनुदान सं0–20 सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण

3–विधायी कार्य

1. उत्तराखण्ड पंचायती राज विधेयक, 2016 पर विचार एवं पारण। **(30 मिनट)**
2. उत्तराखण्ड आवासीय विश्वविद्यालय विधेयक, 2016 पर विचार एवं पारण। **(30 मिनट)**
3. उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) विधेयक, 2016 पर विचार एवं पारण। **(30 मिनट)**

18 शुक्रवार

1– विभागवार अनुदान मॉगों पर चर्चा एवं मतदान

अनुदान सं0–12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण

अनुदान सं0–19 ग्राम्य विकास

अनुदान सं0–25 खाद्य

अनुदान सं0–26 पर्यटन

अनुदान सं0–29 औद्यानिक एवं रेशम

अनुदान सं0–11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति

अनुदान सं0–27 वन

अनुदान सं0 13 जलापूर्ति आवास एवं नगर विकास

अनुदान सं0 17 कृषि कर्म एवं अनुसंधान

अनुदान सं0–28 पशुपालन

अनुदान सं0–16 श्रम एवं रोजगार

अनुदान सं0–01 विधान सभा विवाद नहीं होगा।

अनुदान सं0 02 राज्यपाल विवाद नहीं होगा।

अनुदान सं0–03 मंत्री परिषद विवाद नहीं होगा।

अनुदान सं0–04 न्याय प्रशासन विवाद नहीं होगा।

अनुदान सं0–08 आबकारी

अनुदान सं0–09	लोक सेवा आयोग विवाद नहीं होगा।
अनुदान सं0–10	पुलिस एवं जेल
अनुदान सं0–14	सूचना
अनुदान सं0–15	कल्याण योजनाओं से सम्बद्व
अनुदान सं0–21	ऊर्जा तथा वैकल्पिक ऊर्जा
अनुदान सं0–22	लोक निर्माण
अनुदान सं0–23	उद्योग
अनुदान सं0–24	परिवहन
अनुदान सं0–30	अनुसूचित जातियों का कल्याण
अनुदान सं0–31	अनुसूचित जनजातियों का कल्याण

2. उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2016 का पुरःस्थापन, विचार एवं पारण।

3. विधायी कार्य।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि यह सदन कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिश, जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गई है, से सहमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम–65 के अन्तर्गत श्री राजकुमार ठुकराल, सदस्य, विधान सभा की सूचना प्राप्त हुई है। इसका परीक्षण करा देंगे।

मुख्यमंत्री ने उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग (संशोधन) विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गई।

मुख्यमंत्री ने उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग (संशोधन) विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित किया।

शहरी विकास मंत्री ने उत्तराखण्ड राज्य की नागर निकायों में अवस्थित मलिन बस्तियों के सुधार, विनियमितिकरण, पुनर्वास, पुनर्व्यस्थापन एवं अतिक्रमण निषेध विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गई।

शहरी विकास मंत्री ने उत्तराखण्ड राज्य की नागर निकायों में अवस्थित मलिन बस्तियों के सुधार, विनियमितिकरण, पुनर्वास, पुनर्व्यस्थापन एवं अतिक्रमण निषेध विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित किया।

राजस्व मंत्री ने उत्तराखण्ड जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गई।

राजस्व मंत्री ने उत्तराखण्ड जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित किया।

राजस्व मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2016 जो कि दिनांक 11 मार्च, 2016 को सदन में पुरःस्थापित किया गया था एवं इस विधेयक के समान ही दो अन्य संशोधन विधेयक प्राप्त हुये हैं, उक्त सभी को संकलित करते हुए उत्तराखण्ड जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2016 तैयार किया गया है। अतः पूर्व में दिनांक 11 मार्च, 2016 को पुरःस्थापित उक्त विधेयक को वापस लेने की अनुमति मांगी, जो प्रदान की गई।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम–58 के अन्तर्गत 16 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। वे सभी सूचनाओं को नियम–300 के अन्तर्गत स्वीकार करते हैं।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्तावः–

> ''यह सदन माननीय राज्यपाल को उनके द्वारा दिनांक 09 मार्च, 2016 को दिये गये अभिभाषण के लिए कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है।''

पर चर्चा श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा के भाषण से आरम्भ हुई। निम्नलिखित सदस्यों ने भी अपने विचार व्यक्त कियेः–

2. श्री बंशीधर भगत,
3. श्रीमती रेखा आर्या,
4. श्री विशन सिंह चुफाल,
5. श्री विक्रम सिंह नेगी,

श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए सदन का ध्यान आकृष्ट कराया कि मा0 राजस्व मंत्री द्वारा उत्तराखण्ड जो वापस लेकर पुनः संशोधन विधेयक रखा गया है वह गलत प्रक्रिया अपनाकर पुरःस्थापित किया गया है। श्री अध्यक्ष ने कहा कि इस पर मैं अपना निर्णय सुरक्षित रखता हूँ।

6. श्री हरबंस कपूर,
7. श्री तीरथ सिंह रावत,
8. श्रीमती विजय बड़थ्वाल,
9. श्री चन्दन राम दास,
10. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना,
11. श्री हरभजन सिंह चीमा,
12. श्री प्रेमचन्द अग्रवाल,
13. श्री पूरन सिंह फर्त्याल,
14. श्री दान सिंह भण्डारी,
15. श्री पुष्कर सिंह धामी,
16. श्री प्रेम सिंह,
17. श्री दलीप सिंह,
18. श्री संजय गुप्ता,
19. श्री राजेश शुक्ला,
20. श्री आदेश चौहान,
21. श्री सहदेव पुण्डीर,
22. श्री भीमलाल आर्य,

नेता सदन के उत्तर भाषण के उपरान्त भाजपा द्वारा दिए गए संशोधन जो उपस्थित किए हुए माने गये थे, अस्वीकृत हुए तथा श्रीमती इन्दिरा हृदयेश द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद का प्रस्ताव मूलरूप में स्वीकृत हुआ।

सिंचाई मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड विद्युत उत्पादन पर जलकर (संशोधन) विधेयक, 2016 पर विचार किया जाय। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा ने विचार व्यक्त करते हुए प्रस्ताव किया कि उक्त विधेयक को एक प्रवर समिति को सौंप दिया जाए। **प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।**

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड–2 से खण्ड–9, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

सिंचाई मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड विद्युत उत्पादन पर जलकर (संशोधन) विधेयक, 2016 पारित किया जाय। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

सिंचाई मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड जल प्रबन्धन और नियामक (संशोधन) विधेयक, 2016 पर विचार किया जाय। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा ने विचार व्यक्त करते हुए प्रस्ताव किया कि उक्त विधेयक को एक प्रवर समिति को सौंप दिया जाए। **प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।**

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड–2 से खण्ड–8, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

सिंचाई मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड जल प्रबन्धन और नियामक (संशोधन) विधेयक, 2016 पारित किया जाय। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद् विधेयक, 2016 पर विचार किया जाय। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा ने विचार व्यक्त करते हुए प्रस्ताव किया कि उक्त विधेयक को एक प्रवर समिति को सौंप दिया जाए। **प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।**

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड–2 से खण्ड–32, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद् विधेयक, 2016 पारित किया जाय। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (संशोधन) विधेयक 2016 पर विचार किया जाय। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा ने विचार व्यक्त करते हुए प्रस्ताव किया कि उक्त विधेयक को एक प्रवर समिति को सौंप दिया जाए। **प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।**

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड–2 से खण्ड–11, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (संशोधन) विधेयक 2016 पारित किया जाय। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

श्री अध्यक्ष ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2016–17 के आय–व्ययक पर सामान्य **चर्चा जारी रहेगी।**

शिक्षा विभाग द्वारा एक शैक्षणिक सत्र में एक ही उद्देश्य की पूर्ति हेतु निर्गत किये गये शासनादेशों में की गयी अलग–अलग व्यवस्था के अनुपालन में एक ही शैक्षणिक सत्र में अधिवर्षता आयु प्राप्त शिक्षकों के मध्य उत्पन्न विसंगति विषयक, नियम–51 की सूचना पर श्री पुष्कर सिंह धामी, सदस्य, विधान सभा के भाषण से चर्चा आरम्भ हुई श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा ने भी अपने विचार व्यक्त किये। गृह मंत्री के उत्तर भाषण के उपरान्त चर्चा समाप्त हुई।

दिनांक 15 मार्च, 2016 को सदन में मा0 राजस्व मंत्री द्वारा पुरःस्थापित उत्तराखण्ड जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2016, प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं को पूर्ण नहीं करता संबंधी श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा द्वारा उठाये गये व्यवस्था के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष द्वारा निम्नवत् निर्णय दिया गयाः–

''प्रक्रियात्मक प्राथमिकता संशय को दूर करने के दृष्टिगत यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि ''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 213(2)(क) के अनुसार, ऐसा अध्यादेश राज्य की विधान सभा के समक्ष और विधान परिषद् वाले राज्य में दोनों सदनों में रखा जायेगा। प्रक्रिया के अनुसार उक्त अध्यादेश का प्रतिस्थानी विधेयक विधान मण्डल में पुरःस्थापित कर विचार और पारित किया जाना आवश्यक है। प्रश्नगत विधेयक उत्तराखण्ड जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2016 के प्रतिस्थानी विधेयक के रूप में पुरःस्थापित किया गया है। भार साधक सदस्य द्वारा दिनांक 11 मार्च, 2016 तथा 15 मार्च, 2016 को पुरःस्थापित दोनों संशोधन विधेयकों के परीक्षणोपरान्त पाया गया कि दिनांक 15 मार्च, 2016 को पुरःस्थापित विधेयक की प्रकृति दिनांक 10 मार्च, 2016 को रखे गये अध्यादेश के प्रतिस्थानी विधेयक के तत्वों से भिन्न है। दिनांक 11 मार्च, 2016 को पुरःस्थापित विधेयक एक प्रकार के उपबंध

करता है, जबकि दिनांक 15 मार्च, 2016 को पुरःस्थापित विधेयक में प्रस्तावित उपबंध भी समावेशित है। अतः दिनांक 15 मार्च, 2016 वाले विधेयक के पारित होने पर यह व्यापक प्रकृति का स्वरूप ले सकेगा।

प्रकरण में यह भी उल्लेखनीय है कि सदन में तद्संबंधी दिनांक 11 मार्च, 2016 को पुरःस्थापित विधेयक को वापस लेने संबंधी प्रश्न उपस्थित किया गया था, जिसके माध्यम से भार साधक सदस्य को प्रश्नगत विधेयक को वापस लेने की अनुज्ञा सदन द्वारा प्रदान की गई। अतः इस दृष्टि से भी अस्पष्टता की कोई संभावना अन्तर्ग्रस्त नहीं है एवं सदन में दिनांक 15 मार्च, 2016 को पुरःस्थापित विधेयक दिनांक 10 मार्च, 2016 को रखे गये अध्यादेश के सापेक्ष विचार एवं पारण की दशा में अधिनियम यथा अभीष्ट स्वरूप प्राप्त कर सकेगा।''

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम–53 के अन्तर्गत 12 सूचनाएं प्राप्त हुई। इनमें से–

''रूद्रपुर विधान सभा के सिडकुल क्षेत्र में आम नागरिकों व बच्चों के लिए एक आधुनिक पार्क निर्माण के संबंध में'' श्री राजकुमार ठुकराल की सूचना को नियम–53 के अन्तर्गत वक्तव्य हेतु स्वीकार किया गया है तथा

''उत्तराखण्ड के 06 जनपदों यथा टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी, बागेश्वर, चम्पावत, हरिद्वार एवं ऊधमसिंहनगर में साक्षर भारत कार्यक्रम में कार्यरत शिक्षा प्रेरकों को दिये जाने वाले बहुत कम मानदेय को बढ़ाये जाने के संबंध में'' श्री महावीर सिंह की सूचना को नियम–53 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार किया गया।

शेष सूचनाएं अस्वीकार हुईं।

उत्तराखण्ड गन्ना समितियों में कार्यरत् कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों में समायोजित किये जाने के संबंध में, श्री सरवत करीम अंसारी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 14 मार्च, 2016 को दी गई सूचना पर, गन्ना मंत्री ने नियम–53 के अन्तर्गत वक्तव्य दिया तथा,

विधान सभा क्षेत्र मसूरी के अन्तर्गत दिनांक 18 दिसम्बर, 2015 से लापता प्रेमनगर के मिठ्ठी बेहड़ी निवासी श्री संदीप कुमार पुत्र श्री तेजपाल सिंह का पुलिस द्वारा कथित रूप से सड़क दुर्घटना में मृत्यु के पश्चात् लावारिस समझकर अंतिम संस्कार किये जाने के संबंध में, श्री गणेश जोशी, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 14 मार्च, 2016 को दी गई सूचना पर, गृह मंत्री ने नियम–53 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य दिया।

सदन की कार्यवाही 09 बजकर 31 मिनट पर अगले दिन के 11:00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।

जगदीश चन्द्र
सचिव,
विधान सभा।

स्वीकृत,

गोविन्द सिंह कुंजवाल
अध्यक्ष,
विधान सभा।